



प्रेस एंड मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन

(भारत सरकार से मान्यता प्राप्त)

(नई दिल्ली)

पत्रकार साधियों के हित में काम करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था

पत्र क्रमांक:-सीजी/GPN/0001/2026

दिनांक:- 02/09/2026

ज्ञापन

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी,
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

विषय: सरगुजा संभाग एवं जिला सरगुजा, अंबिकापुर क्षेत्र में पत्रकारों एवं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट/इन्फ्लुएंसर के विरुद्ध कथित चरित्र-हनन, धमकी, भ्रामक प्रचार, सोशल मीडिया सामग्री को काट-छांटकर प्रसारित करने तथा शिकायतों/FIR के माध्यम से दबाव बनाने के मामलों की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराए जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रेस एंड मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ इकाई की ओर से अत्यंत गंभीर विषय आपके संज्ञान में लाया जा रहा है। सरगुजा संभाग का अंबिकापुर क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण भू-भाग है। क्षेत्र में वन उपज, खनिज एवं अन्य प्राकृतिक संपदाओं की उपलब्धता के कारण भूमि, रेत एवं खनिज से जुड़े विवादों और अवैध गतिविधियों के संबंध में समय-समय पर पत्रकारों द्वारा जनहित के प्रश्न उठाए जाते रहे हैं।

जनहित से जुड़े ऐसे मामलों को पत्रकारों एवं सोशल मीडिया एक्टिविस्टों द्वारा सामने लाए जाने के कारण संबंधित प्रभावशाली व्यक्तियों के हित प्रभावित होने की शिकायतें सामने आई हैं। हमारे संज्ञान में यह भी आया है कि कुछ मामलों में पत्रकारों को सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम करने, धमकाने, उनके निजी जीवन एवं चरित्र को निशाना बनाने तथा उनके द्वारा दिए गए वीडियो/बयानों की आधी-अधूरी क्लिप काटकर अलग अर्थ में प्रसारित करने के आरोप लगाए गए हैं।

पत्रकारों एवं सोशल मीडिया एक्टिविस्टों के विरुद्ध कथित व्यक्तिगत एवं चरित्र-हनन संबंधी सोशल मीडिया अभियान तथा उनके जनहित के मुद्दे उठाने से जुड़े घटनाक्रम की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।

पत्रकारों के विरुद्ध सामने आए प्रमुख मामले - 1. बुलंद छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज पांडे जी-हमारे संज्ञान में शिकायत है कि बुलंद छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज पांडे जी के विरुद्ध जनसंपर्क कार्यालय में तोड़फोड़ के

आरोप से संबंधित FIR दर्ज कराई गई। एसोसिएशन की मांग है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर यह स्पष्ट किया जाए कि FIR में लगाए गए आरोप वास्तविक साक्ष्यों पर आधारित हैं अथवा पत्रकारिता से जुड़े विवाद के कारण कार्यवाही हुई।

2. भारत सम्मान के संपादक जितेंद्र जायसवाल- जितेंद्र जायसवाल द्वारा आदिवासी एवं गरीब वर्ग से जुड़े विभिन्न मुद्दों, भूमि संबंधी मामलों तथा पंकज बेक की कस्टोडियल डेथ जैसे गंभीर विषयों को उठाए जाने का उल्लेख मूल दस्तावेज में किया गया है। दस्तावेज के अनुसार उनके विरुद्ध वर्ष 2022 में अनेक FIR दर्ज हुई थीं और मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।

एसोसिएशन का निवेदन है कि इन सभी प्रकरणों की पृष्ठभूमि, FIR की परिस्थितियों तथा पत्रकारिता से संबंधित उनके द्वारा उठाए गए मामलों की chronology की स्वतंत्र समीक्षा कराई जाए।

3. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो- आकांक्षा टोप्पो द्वारा समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के मुद्दे उठाए जाने तथा उनके विरुद्ध FIR एवं कथित धमकियों का उल्लेख मूल दस्तावेज में किया गया है।

अतः उनके विरुद्ध दर्ज मामलों एवं सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे व्यक्तिगत अभियानों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

4. पत्रकार अमित पांडे जी- जशपुर-पत्थलगांव सहित आदिवासी बहुल क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने वाले पत्रकार अमित पांडे जी के विरुद्ध दर्ज मामले में SC/ST Act सहित विभिन्न धाराएं लगाए जाने का उल्लेख दस्तावेज में है। मूल आवेदन में इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आरोप उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित हैं, पत्रकारिता एवं जनहित के मुद्दे उठाने से उनका कोई संबंध है।

5. अकील अहमद अंसारी से संबंधित घटनाक्रम- अकील अहमद अंसारी द्वारा भ्रष्टाचार एवं जनहित से जुड़े विभिन्न मामलों को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाए जाने का उल्लेख मूल दस्तावेज में किया गया है। दस्तावेज के अनुसार उन्होंने अनुसूचित क्षेत्र में गरीब एवं आदिवासी लोगों से जुड़े मामलों को भी सार्वजनिक विमर्श में उठाया है।

मूल दस्तावेज में अनुपम वस्त्रालय प्रकरण का भी उल्लेख है, जिसमें शिकायत के बाद जांच में तत्कालीन विवेचक प्रधान आरक्षक को निलंबित किए जाने तथा पीड़िता का पूरक कथन दर्ज कर विवेचना आगे बढ़ाने के निर्देश दिए जाने की बात दर्ज है।

इसी घटनाक्रम के बाद अकील अहमद अंसारी, पत्रकार जितेंद्र जायसवाल, आकांक्षा टोप्पो एवं अन्य पत्रकारों/सोशल मीडिया एक्टिविस्टों के विरुद्ध सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत एवं चरित्र संबंधी आरोपों के प्रसार का उल्लेख भी मूल दस्तावेज में किया गया है।

सोशल मीडिया सामग्री की जांच क्यों आवश्यक है- हमारे संज्ञान में यह भी शिकायत है कि पत्रकारों द्वारा दिए गए वीडियो अथवा वक्तव्यों की पूर्ण सामग्री के बजाय आधी-अधूरी क्लिप काटकर सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही है और उसके आधार पर भ्रामक अर्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः केवल वायरल क्लिप के आधार पर किसी पत्रकार या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के विरुद्ध कार्यवाही न करते हुए-मूल वीडियो की जांच, पूर्ण वीडियो एवं ऑडियो की जांच, एडिटेड/कट क्लिप की पहचान, पोस्ट की तारीख एवं स्रोत,संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट, पोस्टिंग chronology, tagging, likes, shares,comments, समान कंटेंट एवं पोस्टर, तथा उपलब्ध अन्य डिजिटल साक्ष्यों का विधिसम्मत परीक्षण कराया जाए। मूल दस्तावेज में भी ऐसी डिजिटल chronology एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच की मांग की गई है।

राजनीतिक अथवा प्रभावशाली दबाव की भी जांच हो- एसोसिएशन किसी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल को बिना जांच दोषी घोषित नहीं करता। किंतु यदि किसी पत्रकार के विरुद्ध अलग-अलग मामलों में शिकायतें/FIR दर्ज होती हैं और समान समय में उसके विरुद्ध सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत एवं चरित्र-हनन अभियान चलता है, तो इन घटनाओं के बीच संभावित संबंध की जांच आवश्यक है।

मूल दस्तावेज में भी यह मांग की गई है कि यह जांच की जाए कि अलग-अलग मामलों में प्रभावित प्रभावशाली व्यक्तियों, आर्थिक अपराधों से जुड़े लोगों, भू-माफिया अथवा राजनीतिक पदाधिकारियों/उनके सहयोगियों द्वारा पत्रकारों को भविष्य में ऐसी रिपोर्टिंग से रोकने के उद्देश्य से कोई समन्वित सोशल मीडिया अभियान तो नहीं चलाया गया।

भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया से संबंधित बिंदु- मूल दस्तावेज में भारत सिंह सिसोदिया से संबंधित पूर्व FIR तथा सोशल मीडिया गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया है और यह मांग रखी गई है कि वर्तमान घटनाक्रम की जांच में इन तथ्यों को भी रिकॉर्ड पर लेकर समग्र रूप से देखा जाए।

अतः एसोसिएशन की मांग है कि किसी भी व्यक्ति को पहले से दोषी मानकर नहीं, बल्कि उपलब्ध दस्तावेज, पूर्व शिकायतें, FIR, सोशल मीडिया गतिविधियां, डिजिटल साक्ष्य एवं संबंधित व्यक्तियों के बयान के आधार पर निष्पक्ष जांच की जाए।

सर्व आदिवासी समाज की शिकायत की भी जांच हो- मूल दस्तावेज के अनुसार दिनांक 21 सितंबर 2026 को सर्व आदिवासी समाज, महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष सुनीता सोनहा द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई है।

अतः उक्त शिकायत की प्रति एवं उस पर हुई अब तक की समस्त कार्यवाही/जांच रिपोर्ट भी मंगाकर वर्तमान जांच में शामिल की जाए।

प्रेस एंड मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की प्रमुख मांगें -

1. उपरोक्त समस्त मामलों की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए।
2. पत्रकारों एवं सोशल मीडिया एक्टिविस्टों के विरुद्ध दर्ज पूर्व FIR एवं शिकायतों की पृष्ठभूमि की समीक्षा की जाए।
3. किसी भी पत्रकार के विरुद्ध नई FIR दर्ज करने से पहले उपलब्ध मूल वीडियो, ऑडियो, दस्तावेज एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों का निष्पक्ष परीक्षण कराया जाए।
4. आधी-अधूरी अथवा काट-छांटकर प्रसारित की गई सोशल मीडिया क्लिप को पूर्ण मूल सामग्री से मिलाकर जांचा जाए।
5. धीरज सिंह, गौतम सिंह चौहान सहित संबंधित सोशल मीडिया अकाउंटों की गतिविधियों की विधिसम्मत डिजिटल जांच की जाए।
6. भारत सिंह सिसोदिया, रविंद्र तिवारी एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के साथ सोशल मीडिया tagging, likes, shares, comments, common content एवं posting chronology की जांच की जाए, जहां यह जांच के लिए प्रासंगिक हो। मूल दस्तावेज में इन डिजिटल संपर्कों के परीक्षण की मांग की गई है।
7. यदि जांच में धमकी, धार्मिक/सामुदायिक वैमनस्य, हिंसा के लिए उकसाने, आपराधिक षड्यंत्र अथवा अन्य संज्ञेय अपराध के तत्व पाए जाते हैं, तो लागू कानून के अनुसार कार्यवाही की जाए।
8. पत्रकारों एवं सोशल मीडिया एक्टिविस्टों की सुरक्षा के लिए प्रभावी राज्य स्तरीय व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
9. पत्रकारों के परिवार, निजी जीवन, धर्म अथवा चरित्र को निशाना बनाकर भय का वातावरण बनाने की शिकायतों पर त्वरित जांच एवं विधिसम्मत कार्यवाही की जाए।
10. जांच पूर्ण होने तक सभी संबंधित डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित कराया जाए, ताकि कोई महत्वपूर्ण सामग्री हटने अथवा नष्ट होने से जांच प्रभावित न हो।

11. सर्व आदिवासी समाज द्वारा IG सरगुजा को दी गई शिकायत एवं उस पर हुई कार्यवाही की रिपोर्ट भी मंगाई जाए।

12. समस्त जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता होने पर स्थानीय स्तर से बाहर के वरिष्ठ अधिकारी अथवा स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराई जाए।

महोदय, प्रेस एंड मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को दोषी ठहराना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि पत्रकारिता के कारण किसी पत्रकार को प्रताड़ित न किया जाए और यदि किसी पत्रकार के विरुद्ध वास्तविक अपराध के पर्याप्त साक्ष्य हैं तो उसके विरुद्ध भी कानून के अनुसार निष्पक्ष कार्यवाही हो।

हमारा मानना है कि पत्रकार भी कानून से ऊपर नहीं हैं, लेकिन पत्रकारिता से जुड़े सवालों का उत्तर तथ्यों के माध्यम से दिया जाना चाहिए। किसी पत्रकार के निजी जीवन, परिवार, धर्म अथवा चरित्र को निशाना बनाकर उसे भयभीत करने की कोशिश यदि जांच में प्रमाणित होती है तो उस पर भी कानून के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए। यही निष्पक्ष कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक पत्रकारिता के हित में है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त समस्त विषयों पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए उच्चस्तरीय, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच के आदेश प्रदान करें तथा जांच की प्रगति से संबंधित पक्षों को अवगत कराने की व्यवस्था करें।

दिनांक: 24 सितंबर 2026

स्थान: रायपुर, छत्तीसगढ़

भवदीय

राहुल कुमार मिश्रा

प्रदेश अध्यक्ष

प्रेस एंड मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन (छत्तीसगढ़ इकाई)

मो०-8871881110, 7724808858, 8349186336